



# कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2461909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5B/Budget (NP)-D/A/04 (2015-16)

3816

दिनांक: 4.12.15

प्रेषकः बी0सी0 निगम, भा०व०स००,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, च  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-18/2014-15 / 300 / बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-7 / यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 एवं पत्रांक-4 / गै०यो०ब०-32/2015- 5813 राँची, दिनांक 16.11.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक पत्रांक-4 / गै०यो०ब०-32/2015- 5813 राँची, दिनांक 16.11.2015 (छायाप्रति संलग्न) से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के के आलोक में "01-निदेशन एवं प्रशासन" उपशीर्ष के 21-प्रचार/प्रसार/सेमिनार (19N240601001010321) इकाई में 25,00,000/- रु० (पच्चीस लाख रु०) की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-18/2014-15 / 300 / बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-7 / यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-4-05/98 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश पलो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003 / 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटित राशि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक 5050, दिनांक 18.09.2015 के आलोक में न्यायिक अकादमी भवन, झारखण्ड के प्रांगण में दिनांक 10.10.2015 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर परिचर्चा का आयोजन किये जाने पर हुये व्यय राशि के भुगतान हेतु है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BRADA/01-15-16/81B की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०-यथोः

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 3816

दिनांक 4.12.15

प्रतिलिपि— Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

816



जारी करने वाला संस्थान

## आवटन आदेश

झारखण्ड सरकार

PCCF, JHARKHAND

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में दब्य हेतु निम्नानिकृत दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BRADA/01-15-16/81B

दिनांक -

02-Dec

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं।	लिकासी एवं दब्यान पदा।	आवंटित राशि
1	N 19 240601001010321 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 001 . निवेशन तथा प्रशासन 01 . निवेशन एवं प्रशासन 03 . प्रशासनिक व्यय 21 . प्रधार/प्रसार/रोगिनार	78655	DRNFWL005 ·PRIYESH KUMAR VERMA R.C.C.F.RANCHI	2,500,000.00 रुपये पच्चीस लाख

योग:

2,500,000.00

क्रमिक योग:

रुपये पच्चीस लाख

S. C. NIGAM

PCCF, JHARKHAND/RANCHI

Principal Chief Conservator of Forests

Run Date: 12/12/2015

O/c

(46)

**झारखण्ड सरकार**  
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

पत्रांक-4 / गै0यो० बजट-32 / 2015 ES 13

राँची, दिनांक-16-11-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,  
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

20 NOV 2015

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

पुस्तक नं. 4689  
झारखण्ड

*Budget*  
**विषय:-** गैर योजना मुख्य शीर्ष -2406- वानिकी तथा बन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-01 निदेशन एवं प्रशासन, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, प्राथमिक इकाई-21- प्रचार/प्रसार/सेमिनार (विष्ट्र कोड- 19N240601001010321) रु 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये मात्र झारखण्ड आकर्षिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

*6/11*  
**प्रसंग:-** योजना-सह-वित्त विभाग का ज्ञाप संख्या- 27/JCF-14/2015-16 दिनांक-03.11.2015 का क्रमांक-29/सी० एफ०।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन स्वीकृत्यादेश प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि गैर योजना मुख्य शीर्ष -2406- वानिकी तथा बन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-01 निदेशन एवं प्रशासन, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, प्राथमिक इकाई-21- प्रचार/प्रसार/सेमिनार (विष्ट्र कोड-19N240601001010321), में रु 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये मात्र की राशि झारखण्ड आकर्षिकता निधि से रखीकृत है।

अतएव अनुरोध है कि उक्त के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

*16/11*  
(सुनील कुमार)  
सरकार के उप सचिव



सत्यमेव जयते

## झारखण्ड राज्य

आकर्षिकता निधि से अग्रिम हेतु आवेदन—पत्र

मुख्य शीर्ष “2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी” (गैर योजना) अंतर्गत वित्तीय वर्ष  
2015—2016 के लिए

